निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 48 / 2024
दायरा दिनांकः–02.07.2024
निर्णय दिनांकः– 21.8.24

उनवान

1 जमनालाल आयु 55 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति लोहार निवासी ग्राम कोलूखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. पुरूषोत्तम आयु 45 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति लोहार निवासी ग्राम कोलूखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 21.8.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अशोक कुमार मेहता – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कोलूखेडा में खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 292 रकबा 0.3035 है0 खसरा नम्बर 479 रकबा 0.5058 है0 खसरा नम्बर 481 रकबा 1.3404 है0 कुल खसरा कुल रकबा 2.1497 है0 कृषि आराजीयात अवस्थित है। जिसका प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 सम भाग के खातेदार कृषक है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 एक ही पिता की संतान है। व मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के हिस्सा खाते अनुसार 1/2, 1/2 पपर काबिज काश्त है। व मौके पर भी समभाग बराबर विभाजन कर प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा किया हुआ है। खाते में विभाजन नही होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 को अनैकानेक समस्याओं का समाना करना पडता है। व आये दिन विवाद होने की सम्भावना रहती है। अनैक बार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 से आपसी सहमति से तहसील हाजा में चलकर खातेदारी में विभाजन करवाने बाबत् निवेदन किया तो अप्रार्थी क्रम द्वारा टालम टोल करता रहा व खातेदारी मे विभाजन करवाने बाबत् सहमत नही हुआ। एवं विभाजन व पत्थरगढी के अभाव मे अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी पर अतिक्रमण करने की धमकियां देने लगा। दिनांक 27.06.2024 को प्रार्थी द्वारा खेत पर फसल की बुवाई के दौरान भी अप्रार्थी [illegible] धमकी दी कि प्रार्थी की जमीन पर फसल बोकर रहेगा। प्रार्थी द्वारा जो [illegible] करने का निवेदन करने पर भी प्रार्थी सहमत नही होने पर अब [illegible] न्यायालय [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नही है [illegible] इस वाद [illegible] आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी क्रम 2 से किसी [illegible]कार का प्रार्थी को कि[illegible] अनुतोष अपेक्षित नही है। प्राईमा फेसाई केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये तलब किया गया। अप्रार्थीगण अप्रार्थी बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 13.08.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 43 फोटो प्रति आधार कार्ड जमनालाल पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोलूखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसका प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम समभाग के खातेदार कृषक है प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 एक ही पिता की सन्ताने है विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा है जिस पर काबिज काश्त है मौके पर 1/2, 1/2 हिस्सा का विभाजन किया हुआ है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराना चाहता है अप्रार्थी अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहता है अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता हे प्रार्थी का प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को ता फैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 43 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज रिकार्ड है इससे सह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी अपने हिस्सा 1/2 का विभाजन कराकर अलग खाते दर्ज कराना चाहता है प्रार्थी द्वारा मूल वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने का निवेदन किया है प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है उभयपक्षो को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम कोलूखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 292 रकबा 0.3035 है खसरा नम्बर 479 रकबा 0.5058 है0 खसरा नम्बर 481 रकबा 1.3404 है0 पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:46 IST
Reason: SelfAttested